संख्या-212/2024/1721/22-2-2023-17(08)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खुर्शीद पुत्र श्री पीर मुहम्मद, निवासी जनपद-वाराणसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023) दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खुर्शीद पुत्र श्री पीर मुहम्मद, ए0 28/31 मुहल्ला चन्दुपूरा, थाना-आदमपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। मकान कब्जे के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 31.08.2008 को बंदी ने चाकू से मारकर इदरीश उर्फ नाटे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-549/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अ0), विशेष न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, वाराणसी के आदेश दिनांक 31.05.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.01.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 04 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान कब्जे के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 31.08.2008 को बंदी ने चाकू से मारकर इदरीश उर्फ नाटे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी खुर्शीद पुत्र श्री पीर मुहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खुर्शीद (बंदी संख्या-178/2018) पुत्र श्री पीर मुहम्मद, निवासी जनपद-वाराणसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-212/2024/1721(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट याचिका सं0-9825/2024 खुर्शीद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-212/2024/1721/22-2-2023-17(08)/2024

दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खुर्शीद पुत्र श्री पीर मुहम्मद, ए0 28/31 मुहल्ला चन्दुपूरा, थाना-आदमपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। मकान कब्जे के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 31.08.2008 को बंदी ने चाकू से मारकर इदरीश उर्फ नाटे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-549/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अ0), विशेष न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, वाराणसी के आदेश दिनांक 31.05.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.01.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 04 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान कब्जे के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 31.08.2008 को बंदी ने चाकू से मारकर इदरीश उर्फ नाटे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी खुर्शीद पुत्र श्री पीर मुहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

N